[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2021

सा.का.नि. (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, पर कथित प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत लगने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर से, जब वह भारत में आयातित हो, छूट प्रदान करती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	9019 20, 9804	ऑक्सीजन संकेन्द्रक एवं साथ में प्रवाह मापी यन्त्र, नियामक, योजक और ट्यूबिंग्स
2.	2804 40	चिकित्सीय प्रयोग हेतु ऑक्सीजन
3.	8421 39	वैक्यूम प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन और प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र एवम क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन इकाई जिससे की तरल अथवा गैस के रूप में ऑक्सीजन बनता हो
4.	7311	ऑक्सीजन कनस्तर
5.	9018	ऑक्सीजन भरने वाले तंत्र
6.	7311	ऑक्सीजन भण्डारण टंकी
7.	9018	ऑक्सीजन उत्पादन यन्त्र
8.	7311	ऑक्सीजन परिवहन में प्रयोग होने वाले ISO कंटेनर्स

9.	7311, 8418 अथवा 8419	ऑक्सीजन परिवहन में प्रयोग होने वाले क्रायोजेनिक परिवहन टैंक
10.	7311, 8418 अथवा 8419	ऑक्सीजन सिलेंडर समेत क्रायोजेनिक सिलेंडर और टैंक
11.	कोई अध्याय	उपर्युक्त क्र. सं. 1 एवं 3 से 10 पर वर्णित माल के पुर्जे जो कि ऑक्सीजन उत्पादन, परिवहन, वितरण और भण्डारण में काम आने वाले उपकरण को बनाने में प्रयोग होते हैं, यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।
12.	9019	ऐसा कोई भी उपकरण जिससे ऑक्सीजन का उत्पाद किया जा सके
13.	9018 or 9019	वेंटीलेटर, संपीडक वाला वेंटीलेटर; उसके साथ के सहायक उपकरण और ट्यूबिंग्स; आर्द्रक; वायरल निस्पंदक (जो कि तीव्र बहाव यन्त्र की तरह काम कर सके और नासिका सम्बन्धी कैनुला के साथ आये)
14.	9018	तीव्र बहाव नासिका सम्बन्धी कैनुला यन्त्र और उसके सारे भाग; नासिका सम्बन्धी कैनुला जो कि उपकरण के साथ इस्तेमाल में आये
15.	6506 99 00	हेलमेट जो कि गैर इनवेसिव वेंटिलेशन में इस्तेमाल हो
16.	9019	गैर इनवेसिव वेंटिलेशन में इस्तेमाल होने वाला ओरोनासल मास्क आई सी यू वेंटीलेटर के लिए
17.	9019	गैर इनवेसिव वेंटिलेशन में इस्तेमाल होने वाला नासल मास्क आई सी यू वेंटीलेटर के लिए
18.	3002	कोविड-19 वैक्सीन

2. यह अधिसूचना 31 जुलाई, 2021 तक, जिसमे यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फाइल संख्या 354/3/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार